

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली संख्या : 39/2017 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर

आवेदक

बनाम

मुरारीलाल शर्मा पुत्र श्रीयालाल शर्मा डेयरी डीग रोड भरतपुर जाति ब्राहमण
निवासी मुरवारा तहसील व जिला भरतपुर।

गैरसायल

सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,
2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :- 1. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 4.1.2018

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी उपस्थित नहीं। गैरसायल नियत दिनांक को स्वयं उपस्थित। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 25.7.2017 को प्रातः 10.00 ए0एम0 पर गैरसायल की डेयरी का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आम जनता के इस्तेमाल के लिए विक्रय हेतु

एल्युमिनियम की टंकी में करीब 11 लीटर मिश्रित दूध संग्रहित पाया गया। जिसमें मिलावट/संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस – 338/ एक्ट/2017/359 दिनांक 5.5.2017 द्वारा उक्त मिश्रित दूध का नमूना अवमानक स्तर (SubStandard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का मिश्रित दूध आम जनता को विक्रय कर उक्त अधिनियम की धारा 26(2) का उल्लंघन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि प्रार्थी की डेयरी में दूध विक्रेताओं से प्राप्त दूध को संग्रहण कर विक्रय किया जाता है। गैरसायल के द्वारा कोई मिलावट अपने स्तर से नहीं की गई है। विक्रय किये जाने वाले दूध में अवमानक पाया गया है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए दूध विक्रेताओं से दूध प्राप्त करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 25.7.2017 को गैरसायल की दुकान से आमजनता के विक्रय हेतु संग्रहित मिश्रित दूध का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस – 338/ एक्ट/2017/359 दिनांक 5.5.2017 में अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा स्वयं के स्तर पर दूध में कोई मिलावट नहीं करना तथा दूध विक्रेताओं से क्रय करना जाहिर किया है। उनके द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से दूध क्रय किया जाना दौरान सुनवाई स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। चूंकि गैरसायल के व्यापार परिसर पर 11 लीटर मिश्रित दूध ही वक्त जांच निरीक्षण संग्रहित पाया गया है, जो गैरसायल द्वारा दूध विक्रेताओं से क्रय किया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 3000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायल के द्वारा जुर्माना राशि रसीद संख्या 000086 दिनांक 4.1.2018 से जमा कोष की गई। कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4.1.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर